न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 113/2022

दायर दिनांकः 21.11.2022

उनवान

1. मोहनलाल पि. जगन्नाथ जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. लालचन्द पि. धूलीलाल जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
2. प्रेमचन्द पि. लालचन्द जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
3. भेरूलाल पि. लालचन्द जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
4. बालीबाई पत्नि लालचन्द जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
5. रामकन्याबाई पत्नि प्रेमचन्द जाति बलाई नि. डावल तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री रमेशचन्द सोनी

अप्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री पूरीलाल राठौर

निर्णय दिनांक 21.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवान का वाद ठोस आधारों पर श्रीमान् की सेवामें प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वर्णित विवरणों के अनुसार ग्राम डावल तहसल रायपुर की आराजी ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 हे. भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता धापूबाई एवं भानेज बीनाबाई के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है जिसमें से प्रार्थी की माता धापूबाई फोत हो चुकी है। प्रार्थी की इस भूमि से लगवा पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है जिसको प्रार्थी ने पूर्व में अप्रार्थीगण से पांती से काश्त करवायी थी। अब प्रार्थी स्वयं काश्त करता है। अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर दखलन्दाजी कर हांकने, फसल को नष्ट करने एवं लडाई–झगडा करने पर उतारू है [illegible] प्रार्थी को अपूरनीय क्षति की संभावना है जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी की भूमि ख.नं. 849/575 एवं अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 57[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बीच मौके पर मेड बनी होकर अलग–अलग खत है और प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थीगण को कोई संबंध सरोकार नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि को हडपने की कोशिश कर रहे है। दिनांक 20.10.2022 को अप्रार्थीगण ट्रेक्टर से प्रार्थी की भूमि को जबरन हांकने के लिये हथियार लेकर आये एवं लडाई–झगडा करने लगे जिस बाबत प्रार्थी ने थाना रायपुर में रिपोर्ट भी दर्ज करवायी है। प्रार्थी के वैधानिक अधिकारो को भारी अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है जिस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का प्रार्थी वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थी खातेदार टीनेन्ट कब्जाधारी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सही है एवं सुविधाओं का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है जिस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। अतः वाद के निस्तारण तक की अवधि के लिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के खातेदारी में स्थित भूमि में जबरन अतिक्रमण कर ताकत के बल पर दखलन्दाजी नहीं करे एवं प्रार्थी की फसल व भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे। अन्य न्यायेचित सहायता दी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अभिलिखित नहीं होने से प्रार्थी को खातेदार नहीं माना जा सकता है इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में भी नहीं है क्योकि उक्त भूमि के खातेदार रहे जगन्नाथ पि. मांगीलाल मेहर नि. डावल ने अपने जीवनकला में 20 रू के स्टाम्प पर दिनांक 25.05.1999 को आलेखित किया जिसके अनुसार उसने उसके हिस्से की ग्राम डावल की ख.नं. 575 की भूमि को 27500 रू में अप्रार्थी लालचन्द को बेचान कर कब्जा संभला दिया था। इस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरनीय क्षति नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधिवत खरीद की गई तथा विधिवत कब्जे में स्थित भूमि को प्रार्थी हडपना चाहता है, इसी उद्देश्य से उसने वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी [illegible] दर्ज करवायी है। प्रार्थी द्वारा पेश वाद एवं प्रार्थना पत्र के नोटिस दिनांक 28.11.20[illegible] प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी उक्त भूमि को येनकेन प्रकरण अपने आधिपत्य में लेने हेतु प्रयासरत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

है। यदि प्रार्थी अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के वैधानिक हकव आधिपत्य को अपरिमित क्षति होगी जिस कारण प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थायी व्यादेश का कारण दिनांक 28.11.2022 को नांटिस प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज तथा तथ्यात्मक स्थिति पर अस्वीकार कर अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 का काउन्टर अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि ग्राम डावल की ख.नं. 575 की वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के विधिवत कब्जे काश्त में किसी प्रकार से न तो स्वयं एवं न ही किसी अन्य से कोई विघ्न कारित करवाये।

3. प्रार्थी की ओर काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होना गलत है और न ही कब्जे में भूमि कभी रहना गलत है। उक्त तथ्य दस्तावेज के खिलाफ है जबकि उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर भूमि को काश्त कर रहा है जिससे अप्रार्थीगण जबरन लठ व ताकत के बल पर जबरन अतिक्रमण की कोशिश कर रहे है कजसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। विपरीत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। अप्रार्थीगण का विपरीत वाद/प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से विपरीत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है। खातेदार जगन्नाथ ने ख.नं. 575 की भूमि 27500 रू. में बेचना गलत है व लालचन्द अप्रार्थी को कब्जा संभलाना भी गलत है, अस्वीकार है। जगन्नाथ जी ने कोई जमीन नहीं बेची है यदि कोई बेचान कब्जे तो प्रार्थी को भी बताते जिसकी जानकारी प्रार्थी को होती, जिस कारण सभी तथ्य भ्रामक व बलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने स्वयं इस भूमि को सामद से काश्त की है और फिर कुछ समय के लिए अप्रार्थीगण से पांती से काश्त करायी थी जिस कारण अप्रार्थीगण अब जबरन कर रहे है। जबकि प्रार्थी स्वयं ट्रेक्टर ले आया है और ट्रेक्टर से स्वयं काश्त करता है। प्रार्थी ने अपनी भूमि से सरसों की फसल बाई है और प्रार्थना पत्र पेश करते समय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच मेड मौजूद थी, जिसको अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर जबरन हांककर खुर्द-बुर्द कर दिया है तथा मेड से लगी करीब 10 बिस्वा पूर्व दिशा की प्रार्थी [illegible] को प्रार्थी के पीछे से जबरन लठ के बल पर हांककर जबरन दखलान्दाजी की अवैधानिक कोशिश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण कर रहे है। लठ के बल पर वादी की खातेदार कब्जे काश्त की भूमि को हडपने पर उतारू हो रहे है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोई विधिवत खरीद व कब्जा प्रतिवादीगण को नही दिया है, ऐसी कोई बात होती तो प्रार्थी को भी पता चलता। जबरन भूमि हडपने की नियत से झूंठे, भ्रामक , बनावटी तथ्य दर्ज कर गलत विपरीत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के बबूल के हरे पेड को भी काटकर चोरी कर ले गये जबरन अतिक्रमण करने आये तो प्रार्थी द्वारा मना करने पर गाली गलौच कर पत्थरों से लाठियों से मारने दौडे जिसकी रिपोर्ट भी थाना रायपुर में की थी जिसमें अप्रार्थी सं. 2 की जमानत हुई है फिर भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है। जबरन लठ व ताकत के बल पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हडपने पर उतारू होकर कभी उसमें सात में पानी छोडे देते है। कभी मेड को हांककर मेड के पास वी फसल को नष्ट करने खुर्द बुर्द करने, जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। उक्त पेरे में अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज सभी तथ्य गलत है। अप्रार्थीगण को कोई अपरिमित क्षति नहीं होगी उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। खातेदार काश्तकार प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश कानूनन नहीं दिया जा सकता है। खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थायी व्यादेश अन्य अजनबी अतिक्रमी नहीं ला सकता है जिस कारण विपरीत प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। पैरा सं. 4 तथ्य गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण कोई वाद कारण नहीं उत्पन्न नहीं हुआ है तथा उन्हे खातेदार के खिलाफ काउन्टर वाद लाने का कोई लोकस स्टैन्डाई हासिल नहीं होने से विपरीत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। शेष सभी तथ्य गलत, भ्रामक होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण को कोई विधिवत बेचान नहीं करने से भी काउन्टर वाद चलने योग्य नहीं है। पेरा सं. 5 के तथ्य गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार के खिलाफ विपरीत प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं होने से विपरीत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा कथित स्टाम्प के आधार पर इस न्यायालय को विपरीत प्रार्थना पत्र को सुसने का अधिकार नहीं होने से माननीय न्यायालय के श्रवाणाधिकार से बाहर होने से भी विपरीत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। चाही गयी सहायता गलत है अस्वीकार है। कोई भी सहायता प्रतिवादीगण इस न्यायालय से पाने के पात्र नहीं है विपरीत प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट का खारीज योग्य है। विशेष आपत्तियां यह है कि विपरीत वाद/प्रार्थना पत्र किस धारा व किस कानून में पेश किया गया है अंकित नहीं होने से विपरीत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि कभी भी अप्रार्थीगण को बेचान नहीं की है तथाकथित केबव 20 रू के स्टाम्प के अनस्टाम्प्ड अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रवाणाधिकार इस मननीय न्यायालय को नहीं होने से काउन्टर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 हे. परके डावल तहसील रायपुर व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि 575 पास पास लगी होकर बीच में एक ही मेड होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण अधिक झगडालू लोग होने से लठ ताकत बाहुबल पर प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को जबरन हांककर अतिक्रमण करने हडपने प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो को चुनौती देने का प्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण अधिक संख्या में होकर बाहुबल व लठ ताकत के बल पर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि फसल को झूंठे फर्जी तथाकथित स्टाम्प के झूंठे भ्रामक विपरीत प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी की फसल को हाकने खुर्द बुर्द करने अतिक्रमण करने हडपने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का वैधानिक अधिकारी है। खातेदार काश्तकार ही अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है अन्य अजनबी अतिक्रमी को कोई वैधानिक अधिकार न हीं है जिस कारण भी प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ फसल नष्ट नहीं करने भूमि का खुर्द बुर्द नहीं करने, जबरन प्रार्थी की फसल काश्त करने में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र है तथा अप्रार्थीगण के विशेष हर्जा खर्चा भी पाने का पात्र है। अतः जवाब विपरीत प्रार्थना पत्र पेश कर निदेवन है कि विपरीत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की कृपा करे।

4. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ग्राम डावल की जमाबंदी सं. 2074-77 खाता सं. 267, वादग्रस्त आराजी का खसरा नक्शा दिनांक 20.10.2022, अप्रार्थी सं. 1 की आराजी ख.नं. 575 का खसरा नक्शा, वादग्रस्त भूमि के अप्रमाणित फोटोग्राफस आदि की प्रति पेश की गई जबकि अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ग्राम डावल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 हे. का रिकार्डेड सहखातेदार है एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी से लगवा अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 575 स्थित है। प्रार्थी की मां धापूबाई फोत हो चुकी है एवं उनके हिस्से की 1/4 भूमि का फोती इन्तकाल अभी नहीं खुला है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण ताकत के बल पर जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर अपनी आराजी ख.नं. 575 में मिलाने पर आमदा है। प्रार्थी की भूमि को ट्रेक्टर से हांककर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना रायपुर में दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे प्रार्थी के खाते एवं कब्ज की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त बहस का पूर जोर विरोध करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूलतः प्रार्थी के पिता जगन्नाथ पि. मांगीलाल के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार जगन्नाथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 25.05. 1999 को वादग्रस्त आराजी 20 रू स्टाम्प पर 27500 रूप्ये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था तभी से अप्रार्थीगण शांतिपूर्ण कब्ज काश्त में चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर 1999 से आज तक प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा कब्जे का कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी केवल हिस्सा 7/12 का सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारो की भूमि पर भी उनकी सहमति के बिना यह वाद दायर किया है। जो खारीज योग्य है। अन्य सहखातेदार इस तथ्य को स्वीकार करते है कि वादग्रस्त आराजी पर बेचान अप्रार्थीगण के पक्ष में वर्षो पूर्व हो चुका है और अप्रार्थीगण वास्तविक स्वामी है। अतः प्रकरण प्राथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में बोई गई फसल को ट्रेक्टर से हांक कर जबरन कब्जा करने पर आमदा है और अगर कब्जा करने में सफल रहा तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि यदि अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को 20 रू स्टाम्प पत्र पर 27500 रू में 1999 में क्रय कर लिया तो पंजीयन क्यों नहीं करवाया। अप्रार्थीगण ऐसे बेचान इकरार की पालना के लिए स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर रिलीफ प्राप्त करे। बेचान इकरार की पालना पर आना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः रिकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे।

9. बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने के लिए प्रकरण को निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :–

(अ) **प्रकरण प्रथम दुष्टया**– ग्राम डावल के खाता सं. 267 की जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 है. में प्रार्थी हिस्सा 7/12 का रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है जबकि इसके लगवा आराजी ख.नं. 575 अप्रार्थी सं. 1 लालचन्द के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी के दो अन्य सहखातेदार धापूबाई पत्नि जगन्नाथ हि. 1/4 व बीनाबाई पुत्री रोडीबाई हि. 1/6 है। अन्य सहखातेदार धापूबाई व बीनाबाई प्रकरण में पक्षकार नहीं है। दोनो का प्रार्थी के साथ क्या संबंध है यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि धापूबाई उसकी मां है और बीनाबाई उसकी बहिन है लेकिन प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। सहखातेदार धापूबाई पत्नि जगन्नाथ के मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रार्थी का यह कथन भी साबित नहीं है कि धापूबाई पत्नि जगन्नाथ फोत हो गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (4) एवं 211 के अनुसार सहखातेदारी की आराजी के विवाद में प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवष्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा 25.05.1999 को 20 रू स्टाम्प पत्र पर 27500 रू में प्रार्थी के पिता जगन्नाथ से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से अप्रार्थीगण लगातार कब्ज काश्त में चले आ रहे है लंकिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन न तो 20 रू के स्टाम्प पत्र पर हुये उक्त बेचान इकरार के दस्तावेज पेश किये और न ही कोई अन्य दस्तावेज पेश किया है। दो पक्षो के मध्य किसी सम्पत्ति के बेचान को लेकर हुये बेचान इकरार की पालना के लिये दोनो पक्ष The Specific Relief Act 1963 के अधीन सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। किसी अनुबंध/इकरार की पालना का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अप्राथीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपने वर्षो पुराने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक या अधिकार साबित नहीं है। वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारो को यद्यपि प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथापि उन्हे कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में पेश करे। अन्य सहखातेदारो के हिस्से के हक तक प्रार्थी को अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के दर्ज हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

(ब) **सुविधा का संतुलन** – प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर कब्जे काश्त का कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो के द्वारा पेश नहीं किया गया है लेकिन पत्रावली में उपलब्ध ग्राम डावल की जमाबंदी सं. 2074–77 एवं खसरा नक्शा दिनांक 20.10.2022 के आधार पर प्रार्थी 7/12 हिस्से का रिकार्डेड सहखातेदार है। जब तक प्रतिकूल रूप से साबित नहीं हो जाये तब तक यह माना जावेगा कि वादग्रस्त आराजी पर रिकार्डेड सहखातेदारो का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेचान इकरार दिनांक 25.05.1999 एवं कब्जा हस्तानान्तरण के संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पेश स्व प्रमाणित **फोटोग्राफस पीएच 1 से 3** वादग्रस्त आराजी ख.नं. 849/575 के ही है – पर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। उक्त स्वा प्रमाणित फोटोग्राफस **पीएच 1 से 3 से प्रथम** दृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी की हंकाई जुताई या कब्जे को लेकर उभयपक्ष के मध्य लडाई झगडा हुआ है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार की भूमि पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरन कब्जा करते है तो प्रार्थी के पक्ष में स्थगन जारी करने पर प्रार्थी को तुलनात्मक अधिक सुविधा होगी।

अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

(स) **अपूर्णीनीय क्षति** – हस्तगत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के दर्ज हिस्से तक प्रार्थी [illegible] हिस्सा 7/12 का रिकार्डेड खातेदार कृषक है और प्रतिक[illegible]धारी भी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे [illegible] कर खुर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

नहीं कर सकते है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी व खडी फसल पर बलपूर्वक कब्जा कर खुर्द बुर्द करते है तो प्रार्थी को अपूरनीय क्षति कारित होगी।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम डावल तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 हे. के सम्बन्ध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधी से प्रार्थी के हिस्से 7/12 एवं कब्जे काश्त की ग्राम डावल तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 849/575 रकबा 0.8094 हे. पर कब्जा काश्त नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner